



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238272
CG-DL-E-23082022-238272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3767]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944

No. 3767]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का.आ. 3941(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2547(अ) तारीख 30.05.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बी दी पी एल) & स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट						
पारादिप स्पर पाइपलाइन (सेक्सन - 2A)						
अनुसूची						
राज्य - ओडिशा						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	वर्गमीटर
जाजपुर	बिन्द्वारपुर	गुआलि	667	00	06	07
जगतसिंहपुर	कुजङ	उदयबट	1023	00	01	41
			1022/2227	00	02	83
			1055/2228	00	02	83
			1056/2229	00	02	83
			1064	00	01	70
			1065	00	00	60

[फा. सं. एल-14014/119/2022-जी.पी.-II(ई- 43113]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

S.O. 3941(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 2547(E) dated 30.05.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

JAGDISHPUR - HALADIA - BOKARO - DHAMRA PIPELINE & SPUR PIPELINE PROJECT PARADEEP SPUR PIPELINE (SECTION-2A)						
SCHEDULE						
STATE : ODISHA						
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
				HECT.	ARE	SQ. MTR.
1	2	3	4	5		
JAJPUR	BINJHARPUR	GUHALI	667	00	06	07
JAGATSINGHPUR	KUJANG	UDAYABATA	1023	00	01	41
			1022/2227	00	02	83
			1055/2228	00	02	83
			1056/2229	00	02	83
			1064	00	01	70
			1065	00	00	60

[F. No. L-14014/119 /2022 -GP-II(E-43113)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.